**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 685**

**उत्तर देने की तारीखः 27.07.2015**

**अनुत्तीर्ण करने की नीति समाप्त किया जाना**

**685. श्री डी॰ राजाः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारें आठवीं कक्षा तक के बच्चों को अनुत्तीर्ण करने की नीति को समाप्त करने की मांग कर रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

**(क) और (ख): जी, हां। समय-समय पर कुछ राज्‍य सरकारों ने केंद्र सरकार को नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुत्‍तीर्ण न करने के प्रावधान की पुन: जांच करने के संबंध में लिखा है। इस पृष्‍ठभूमि, में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) ने, दिनांक 6 जून, 2012 को आयोजित अपनी 59वीं बैठक में आरटीई अधिनियम,2009 के अनुत्‍तीर्ण न करने के प्रावधान के संदर्भ में सतत् एवं व्‍यापक मूल्‍यांकन (सीसीई) के कार्यान्‍वयन का मूल्‍यांकन करने हेतु एक उप-समिति का गठन किया था। इस उप-समिति ने अगस्‍त, 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दी है। उप-समिति की सिफारिशों में अन्‍य बातों के साथ-साथ निष्‍पादन—संचालित संस्‍कृति को बढ़ावा देने के लिए नियमित आधार पर सभी बच्‍चों के अधिगम स्‍तर के परिणामों को मापना शामिल है। समिति ने ‘अनुत्‍तीर्ण न करने की नीति’ की समीक्षा करने और चरणबद्ध रूप से इसके कार्यान्‍वयन की समीक्षा करने की भी सिफारिश की है।**

\*\*\*\*\*